

भारतीय खेल प्राधिकरण SPORTS AUTHORITY OF INDIA भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA खेल विभाग / DEPARTMENT OF SPORTS (An Autonomous Body under Ministry of Youth Affairs and Sports) (युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय) (RECRUITMENT CELL) (भर्ती प्रकोष्ठ)



फ़ाइल संख्या: 01-04001(02)/36/2025-HO - Personnel Division / ७५७ File No. 01-04001(02)/36/2025-HO - Personnel Division

दिनांक: 09-07-2025 Date: 09-07-2025

भारतीय खेल प्राधिकरण अनुबंध के आधार पर सलाहकार (विद्युत) की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है SPORTS AUTHORITY OF INDIA INVITES APPLICATIONS FOR ENGAGEMENT OF ADVISOR (ELECTRICAL) ON CONTRACT BASIS

भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) सेवानिवृत्त व्यक्तियों को **सलाहकार (विद्युत)** के रूप में अनुबंध के आधार पर 01 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, की सेवाओं के लिए आवेदन आमंत्रित करता है (DoE O.M. No. 3-25/2020-E.III A दिनांक 09.12.2020 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन में)।

Sports Authority of India (SAI) invites application for engagement of services of Retired Persons as **Advisor (Electrical)** on contract basis for a period 01 year or till the age of 65 years whichever is earlier (in compliance to the guidelines stipulated in DoE O.M. No. 3-25/2020-E.III A dated 09.12.2020).

2.0 भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के बारे में About Sports Authority of India (SAI)

भारतीय खेल प्राधिकरण युवा मामले और खेल मंत्रालय (MYAS) के तहत एक स्वायत्त संगठन है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है, जिसका उद्देश्य देश में खेलों के विकास और संवर्धन का है। SAI का मुख्य उद्देश्य आज खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित और तैयार करना है। इसके पास अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित कोचों के साथ-साथ देश भर में फैले अंतरराष्ट्रीय

मानक खेल बुनियादी ढांचे हैं। प्राधिकरण को भारत सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। SAI is an autonomous organization under the Ministry of Youth Affairs & Sports (MYAS) registered under the Societies Registration Act, 1860, with the mandate of development and promotion of Sports in the country. SAI's main object today is to achieve excellence in sports and train & prepare sports persons to participate in international competitions. It has international standard sports infrastructure spread across country along with trained coaches to achieve its objective. The Authority is substantially funded by the Government of India.

3. सलाहकार (विद्युत) के लिए कार्य की प्रकृति

Nature of work for Advisor (Electrical)

केंद्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यालयों/PSUs/स्वायत्त निकायों/क़ानूनी निकायों से सेवानिवृत्त अधिकारी, जो केंद्रीय/राज्य सरकार के अधीन हैं, सलाहकार (इलेक्ट्रिकल) के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुभव/विशेषज्ञता हो:

मुख्य भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

तकनीकी सलाह और समर्थन:

- विद्युत प्रणालियों की योजना, डिजाइन, स्थापना और रखरखाव में विशेषज्ञ सलाह देना, जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लाइटिंग और विशेष खेल उपकरण शामिल हैं।
- तकनीकी प्रक्रियाओं की समीक्षा और विकास करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हों।

 विद्युत सेवा वितरण के विकास और निरंतर सुधार का समर्थन करना, जिसमें बुनियादी ढांचे का उन्नयन और आधुनिकीकरण शामिल है।

परियोजना प्रबंधन:

- नई परियोजनाओं या नवीनीकरण के लिए योजना और प्रारंभिक डिजाइन सत्रों में भाग लेना, यह सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी इनपुट देना कि विद्युत आवश्यकताएँ पूरी हों।
- परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी करना, यह सुनिश्चित करना कि समयसीमा, बजट और गुणवत्ता मानक बनाए रखें जाएँ।
- निवारक रखरखाव के लिए कार्य योजनाएँ तैयार करना और उनके क्रियान्वयन की निगरानी करना।

रखरखाव और समस्या निवारण:

- विद्युत प्रणालियों के नियमित रखरखाव का आयोजन और पर्यवेक्षण करना ताकि खराबी रोकी जा सके और आयोजनों के दौरान निर्बाध संचालन सुनिश्चित हो सके।
- विद्युत दोषों या आपात स्थितियों का शीघ्रता से समाधान करना ताकि खेल गतिविधियों में न्यूनतम बाधा आए। अनुपालन और सुरक्षा:
 - यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्युत प्रतिष्ठान और संचालन स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरणीय नियमों का पालन करें।
 - स्टेडियमों और प्रशिक्षण सुविधाओं में विद्युत प्रणालियों के समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट और जोखिम आकलन करना।

टीम नेतृत्व और प्रशिक्षण:

- विद्युत तकनीशियनों और इंजीनियरों की टीम का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करना, यह सुनिश्चित करना कि कौशल विकास और उच्च प्रदर्शन हो।
- विद्युत संचालन में संलग्न कर्मचारियों को तकनीकी कोचिंग और समर्थन प्रदान करना।

हितधारकों के साथ समन्वय:

- आर्किटेक्ट्स, ठेकेदारों, आयोजनकर्ताओं और आंतरिक विभागों के साथ समन्वय करना ताकि आयोजनों, कैंपों और दैनिक सुविधा संचालन के लिए विद्युत आवश्यकताओं का समुचित प्रबंधन हो सके।
- संचालन विभागों का समर्थन करना ताकि सभी आयोजन आवश्यकताएँ समझी और पूरी की जा सकें।

अन्य प्रशासनिक कार्य/गतिविधियाँ:

 सक्षम प्राधिकारी/रिपोर्टिंग अधिकारी/डिवीजन के प्रमुख द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य प्रशासनिक कार्य/गतिविधियाँ।

The officers retired from Central/State Government/Union Territories offices/PSUs /Autonomous Bodies/Statutory Bodies under Central/State Government can apply for appointment as Advisor (Electrical), having experience/specialization in the following fields: -

Key Roles and Responsibilities

- Technical Advisory and Support:-Provide expert advice on the planning, design, installation, and maintenance of electrical systems, including power distribution, lighting, and specialized sports equipment. Review and develop technical procedures, ensuring compliance with national safety standards and best practices. Support the development and continual improvement of electrical service delivery, including upgrades and modernization of infrastructure.
- Project Management: -Participate in planning and early design sessions for new projects or renovations, offering technical input to ensure electrical requirements are met. Oversee project rollouts, ensuring timelines, budgets, and quality standards are maintained. Prepare work plans for preventive maintenance and monitor their execution.
- Maintenance and Troubleshooting:-Organize and supervise regular maintenance of electrical systems to prevent breakdowns and ensure uninterrupted operations during events. Troubleshoot and resolve electrical faults or emergencies promptly to minimize disruption to sporting activities.

Apundis

- Compliance and Safety:-Ensure all electrical installations and operations comply with health, safety, and environmental regulations.Conduct periodic safety audits and risk assessments of electrical systems in stadiums and training facilities.
- **Team Leadership and Training**: -Oversee and guide a team of electrical technicians and engineers, ensuring skill development and high performance.Provide technical coaching and support to staff involved in electrical operations.
- Coordination with Stakeholders:-Liaise with architects, contractors, event organizers, and internal departments to coordinate electrical requirements for events, camps, and daily facility operations. Support operational departments to ensure all event requirements are understood and met.
- Any other administrative task/activities as and when assigned by Competent Authority/Reporting Officer/Head of the Division.
- 3.1 सलाहकार (विद्युत) के लिए पात्रता मानदंड

Eligibility Criteria for Advisor (Electrical): -

	0		
ता	1619	न न	- 1

Table – I			
पद का नाम	सलाहकार (विद्युत)		
Name of the post	Advisor (Electrical)		
पदों की संख्या	01		
No. of Post			
आयु सीमा	आवेदन प्राप्ति की प्रारंभिक तिथि को आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।		
Age limits	Not exceeding 64 Years of age as on opening date for receipt of applications.		
आवश्यक योग्यता Eligibility Criteria	Officer working under the Central Government/State Governments/Union Territory Administrations (including their attached or subordinate officers)/Public Sector Undertakings/Autonomous or Statutory organizations holding the post of Executive Engineer or equivalent. Analogous post in their parent cadre; OR		
	Officer with atleast 5 years of regular service in Level-11 (Rs. 67700- 208700)		
आवश्यक अनुभव Essential Experience	Should have a minimum of 20 years of experience in planning, execution, and supervision of large-scale electrical infrastructure works. Should have hands-on experience with public procurement processes, preparation and vetting of estimates, execution as per CPWD specifications/DSR, and familiarity with government tendering procedures.		
आवश्यक योग्यता Essential Qualification	Degree in Electrical Engineering from recognized University/Institute.		
वेतन मैट्रिक्स स्तर (7वां सीपीसी) Pay Matrix Level (7th CPC)	12		
पारिश्रमिक	अंतिम आहरित वेतन में से पेंशन घटाएँ		
Remuneration	Last Pay Drawn Minus Pension		
अनुबंध की अवधि	नियुक्ति की अवधि 01 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो,		
Term of engagement	SAI की कार्यनिष्पादन समीक्षा/आवश्यकता के आधार पर होगी।		
	The term of appointment shall be for a period of 01 year or till the age of 65 years, whichever is earlier, based on the performance review/requirement of SAI.		

4.0 चयन प्रक्रिया/Selection Process

Apurdis

पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और चयन विधिवत नियुक्त चयन/साक्षात्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

The candidate fulfilling the eligibility criteria will be called for interview and the selection will be made on the basis of the recommendations of duly appointed Selection/ Interview Committee. 5.0

नियम और शर्तें /Terms and Conditions i.

iii.

पारिश्रमिक: एक निश्चित मासिक राशि स्वीकार्य होगी, जो सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन से मूल पेंशन को घटाकर प्राप्त की जाएगी। अंतिम आहरित वेतन से काटी जाने वाली मूल पेंशन सेवानिवृत्ति के समय निर्धारित पेंशन होगी और इस प्रकार, यदि कर्मचारी ने पेंशन के कम्प्यूटेड मूल्य का लाभ उठाया है, तो पेंशन का कम्प्यूटेड हिस्सा भी कटौती किए जाने वाले पेंशन के हिस्से में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित पारिश्रमिक की राशि अनुबंध की अवधि के लिए अपरिवर्तित रहेगी। अनुबंध की अवधि के दौरान कोई वार्षिक वेतन वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि और महंगाई भत्ता की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Remuneration: A fixed monthly amount shall be admissible, arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The basic pension to be deducted from the Last pay drawn shall be pension as fixed at the time of retirement and, as such, if the employee has availed of the commuted value of pension, the commuted portion of pension shall also be included in the portion of pension to be deducted. The amount of remuneration so fixed shall remain unchanged for the term of the contract. No annual increment/percentage increase and Dearness Allowance shall be allowed during the term of the contract. ii.

- स्रोत पर कर कटौती: आयकर या कटौती योग्य कोई अन्य कर, प्रचलित नियमों के अनुसार, भुगतान करने से पहले स्रोत पर काट लिया जाएगा, जिसके लिए एसएआई लागू होने पर टीडीएस/सेवा कर प्रमाण पत्र जारी करेगा। Tax Deduction at Source: The Income Tax or any other tax liable to be deducted, as per the prevailing rules will be deducted at source before effecting the payment, for which the SAI will issue TDS /Service Tax Certificates, as applicable.
- अन्य भत्ते: नियुक्ति के समय या उसके पूरा होने पर कोई टीए/डीए देय नहीं होगा। डीए, आवास, आवासीय फोन, निजी स्टाफ, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, एचआरए और एलटीसी आदि जैसी कोई अन्य सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। Other Allowances: No TA/DA shall be admissible for joining the assignment or on its completion. No other facilities like DA, Accommodation, Residential Phone, Personal Staff, Medical reimbursement, HRA and LTC etc. would be admissible.
- परिवहन भत्ता:- आप अनुबंध की अवधि के दौरान 10,800/- रुपये प्रति माह के परिवहन भत्ते के हकदार होंगे। इस iv. प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।

Transport Allowance: - You will be entitled for the transport allowance of Rs. 10,800/- per month during the period of contract. The amount so fixed shall remain unchanged during the term of appointment.

विस्तार: - उसके प्रदर्शन की निरंतर समीक्षा की जाएगी और आवधिक समीक्षा/आवश्यकता के आधार पर उसके ٧. विस्तार पर विचार किया जाएगा।

Extension: - His/her Performance would be continuously reviewed and his/her extension will be considered on the basis of periodic review / requirement.

छुट्टी: - वह एक कैलेंडर वर्ष में मासिक आधार पर 1.5 दिन की छुट्टी के लिए पात्र होगा। इसलिए, वह एक वर्ष vi.

में 18 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहने पर कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा। साथ ही, एक कैलेंडर वर्ष में ली गई छुट्टी समाप्त हो जाएगी और उसे अगले कैलेंडर वर्ष में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

Leave: - He/she will be entitled for 1.5 days leave on monthly basis in a calendar year on prorata basis. Therefore, he/she shall not draw any remuneration in case of his/her absence beyond 18 days in a year. Also, un-availed leave in a calendar year will lapse and will not be carried forward to the next calendar year.

î

6.0 गोपनीयता:/Confidentiality:-

written approval of the Competent Authority.

engagement to anyone who is not authorized to know.

बताएगा जो जानने के लिए अधिकृत नहीं है।

प्राधिकरण और सरकार के हित के प्रतिकुल हो।

लेना होगा।

अन्य शर्ते:/Other Conditions:

ग)

घ)

7.0

क) अनुबंध के दौरान, यह संभावना है कि चयनित उम्मीदवार अनुबंध में संचालन और अनुबंध के अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न गोपनीय जानकारी के साथ आएगा। ऐसी गोपनीय जानकारी में, बिना किसी सीमा के, कोचिंग डेटा, प्रदर्शन विश्लेषण और मनोवैज्ञानिक परीक्षण और किसी भी एथलीट का प्रशिक्षण डेटा, व्यवसाय और वितीय जानकारी, व्यवसाय के तरीके और अभ्यास, प्रौद्योगिकी और तकनीकी रणनीतियाँ, विपणन रणनीतियाँ, व्यापार

During the course of the contract, it is likely that the selected candidate will come into contract with various confidential information crucial to the operation and fulfilling his/her obligations of the contract. Such confidential information may include, without limitations, reports coaching data, performance analysis and psychological testing and training data of any athlete, business & financial information, business methods and practices, technology and technological strategies, marketing strategies, trade secrets or any other such information referred to as "Confidential Information". चयनित व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों के वास्तविक निर्वहन में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी ख)

पुस्तक या लेखों का संकलन प्रकाशित करने या रेडियो प्रसारण में भाग लेने या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर गुमनाम या छद्म नाम से लेख लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि ऐसी कोई पुस्तक, लेख, प्रसारण, किसी भी जानकारी का उपयोग करता है जिसे वह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना इस असाइनमेंट के हिस्से के रूप में एकत्र कर सकता है, तो ऐसे किसी भी उल्लंघन के लिए नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि, यदि चयनित उम्मीदवार SAI द्वारा दिए गए अपने असाइनमेंट के अलावा कोई पुस्तक, लेख प्रकाशित करना चाहता है या कोई जानकारी प्रसारित

Selected persons will not be allowed to publish a book or a compilation of articles or participate in a radio broadcast or contribute an article or anonymously or pseudonymous in the name of any other person without prior approval of the Competent Authority in the bonafide discharge of his/her duties. If such book, article, broadcast, uses any information that he/she may gather as part of this assignment without the prior approval of the Competent Authority any such violation will attract strict actions as per rules. However, if the selected candidate desires to publish any book, article or broadcast any information other than his/her assignment given by SAI, the same cab be carried out only after obtaining

नियुक्ति की अवधि के दौरान, कर्मचारी भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के

चयनित कार्मिक किसी भी मामले में दूसरों का प्रतिनिधित्व या राय या सलाह नहीं दे सकते, जो भारतीय खेल

अधीन होगा और नियुक्ति की अवधि के दौरान उसके द्वारा एकत्र की गई कोई भी जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं

During the period of engagement, Employee would be subject to the provisions of the Indian Official Secret Act, 1923 and will not divulge any information gathered by him/her during the period of his/her

The Selected personnel at no instance can represent or give opinion or advice to others in any matter,

बदले में एक महीने का पारिश्रमिक देना होगा, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगा।

1. यदि उसे आधिकारिक इयूटी के लिए दौरे पर तैनाती स्थल से बाहर जाना पड़ता है, तो वह एसएआई (वेतन ग्रेड लेवल 12) में समकक्ष स्तर के अधिकारियों के लिए लागू नियमों के तहत स्वीकार्य टीए/डीए का हकदार होगा। 2. यदि प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो 15 दिन का नोटिस देने के बाद उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। यदि आप सेवा समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको 30 दिन पहले नोटिस देना होगा या नोटिस अवधि के

3. उसे नियमित आधार पर कार्यालय में उपस्थित होना होगा और अनुबंध अवधि के दौरान कोई अन्य कार्यभार नहीं

which is adverse to the interest of the Sports Authority of India and Government.

सेवाएं बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।

करना चाहता है, तो ऐसा सक्षम प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है।

रहस्य या कोई अन्य ऐसी जानकारी शामिल हो सकती है जिसे "गोपनीय जानकारी" कहा जाता है।

अपनी नियुक्ति के दौरान उसे कार्यालय की मर्यादा और अनुशासन बनाए रखना होगा, ऐसा न करने पर उसकी

- 5. संविदा नियुक्ति के दौरान आपको "अंतिम वेतन में से पेंशन घटाकर" निश्चित मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा।
- 6. वह सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 का पालन करेगा।
- 7. उपरोक्त शर्त के प्रति किसी भी पूर्वाग्रह के बिना, यदि उम्मीदवार रोजगार की शर्तों में निहित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है या कर्तव्यों की लापरवाही, अनधिकृत अनुपस्थिति आदि सहित किसी भी कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो उम्मीदवार को बिना किसी दायित्व के तत्काल प्रभाव से उसकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया जाएगा।
- 8. प्राप्त आवेदनों की प्रासंगिक अनुभव और नौकरी विवरण के आधार पर जांच/शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और योग्य उम्मीदवारों को आवेदक की लागत पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
- 9. पात्रता, चयन और पोस्टिंग से संबंधित सभी मामलों में साई का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में साई द्वारा कोई प्रतिनिधित्व या पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- 10. साई बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर विज्ञापन और/या चयन प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 11. किसी भी विवाद के मामले में महानिदेशक भा.खे. प्रा अंतिम प्राधिकारी होंगे।
- 12. नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध के आधार पर होगी तथा इससे उसे इस संगठन में नियमित कर्मचारी के रूप में या सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति के लिए किसी भी तरह से या उससे नीचे किसी भी तरह का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- 13. भा.खे. प्रा में रोजगार से संबंधित कोई भी मुकदमेबाजी दिल्ली की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में होगी।
- 14. एसएआई की आवश्यकता के अनुसार, एक पैनल तैयार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा तथा इसका उपयोग एसएआई के साथ भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी भी योजना/परियोजना द्वारा किया जा सकता है। एसएआई बिना कोई कारण बताए पैनल को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 15. इस संबंध में आगे की अधिसूचना/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल एसएआई वेबसाइट पर ही डाला जाएगा।
- 16. किसी भी विवाद की स्थिति में, रोजगार सूचना का अंग्रेजी संस्करण वैध माना जाएगा।
- 17. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे विज्ञापन में निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती/चयन के किसी भी चरण में अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- 18. निर्धारित प्रारूप में न होने वाले या अधूरे/अहस्ताक्षरित या आवश्यक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, बोर्ड/विश्वविद्यालय की मार्कशीट आदि की प्रति के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 19. यदि आवश्यकता हो तो एसएआई बिना कोई अतिरिक्त नोटिस जारी किए या कोई अतिरिक्त नोटिस दिए बिना भर्ती प्रक्रिया को संशोधित/बदलने/प्रतिबंधित/विस्तार/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 20. एसएआई का निर्णय अंतिम होगा और इस मुद्दे के खिलाफ कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 21. कृपया आगे की अपडेट के लिए नियमित रूप से अपने ईमेल खाते पर जाएँ।
- a. In case he/she is required to proceed outstation from the place of posting on tour for official duty, he/she will be entitled to TA/DA as admissible under the rules as applicable to Officers of equivalent level in SAI (Pay Grade Level 12).
- b. In case performance is not found satisfactory, his/her services will be discontinued after giving 15 days' notice. In case you want to discontinue, you will have to give 30 days advance notice or one month remuneration in lieu of notice period which will be subject to the approval of the Competent Authority.
- He/she would be required to attend office on regular basis and would not take up any other assignment during the contract period.
- d. During the course of his/her engagement he/she is required to maintain office decorum and discipline failing which his/her services are also liable to be terminated at any time without assigning any reason.

- e. During the contractual engagement you will be paid fixed monthly remuneration of "Last Pay Drawn Minus Pension".
- f. He will abide by the CCS (Conduct) Rules, 1964.
- g. Without any prejudice to the above condition, the candidate will be terminated from his/her services with immediate effect without any obligations, in case the candidate is found guilty of violating any of the conditions contained in the terms of employment or is guilty of any misconduct including negligence of duties, unauthorized absence, etc.
- h. The applications received will be scrutinized/ shortlisted on the basis of relevant experience and job description and the eligible candidates will be called for Interview at cost to the applicant.
- Decision of SAI in all matters regarding eligibility, selection and posting would be final and i. binding upon all candidates. No representation or correspondence will be entertained by SAI in this regard.
- SAI reserves the right to cancel the advertisement and/or the selection process at any stage İ. without assigning any reason.
- k. The DG SAI shall be the final authority in case of any dispute.
- The appointment will be purely on contract basis and does not confer/ entitle him/her to claim I. in any manner or below any right for his/her engagement as regular employee in this organisation or that of a government employee.
- m. Any litigation matters pertaining to employment at SAI shall be amenable to jurisdiction of courts in Delhi.
- Owning to the requirement in SAI, a panel shall be drawn which will be valid for a period of one n. Year and can be utilized by any Scheme/project funded by Government of India along with SAI. SAI reserves the right to cancel the panel without assigning any reason.
- Further notifications/corrigendum in this regard, if any, will be put up on SAI website only. Ο.
- In case of any dispute, English version of the Employment notice will be treated as valid.
- Candidates should ascertain, before applying, that they satisfy all the eligibility conditions as stipulated in the advertisement. Candidates, who do not satisfy the eligibility conditions, will be liable to be disqualified at any stage of recruitment/selection.
- r. Application Forms not in the prescribed format or incomplete/unsigned or received without a copy of essential qualification certificates, experience certificates, copy of mark-sheet of Board/ University etc shall not be considered and are liable to be rejected.
- SAI reserves the right to modify/alter/restrict/enlarge/cancel the recruitment process, if the need S. so arises without issuing any further notice or assigning any further notice any reason thereof. t
- The decision of the SAI will be final and no appeal will be entertained against this issue.
- Please do visit your email account regularly for further updates. u.

8.0 सामान्य निर्देश/General Instructions

8.1 आवेदन कैसे करें: - अभ्यर्थी को केवल https://sportsauthorityofindia.nic.in/saijobs लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा उन्हें तुरंत अस्वीकृत

कर दिया जाएगा। वेबसाइट पर पंजीकरण/आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित होना चाहिए:

HOW TO APPLY: - The candidate has to apply only online through the link https://sportsauthorityofindia.nic.in/saijobs. Applications received through any other mode would not be accepted and summarily rejected. Before registering/submitting applications on the website, the candidates should possess the following:

वैध ई-मेल आईडी: ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज की गई ई-मेल आईडी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक सक्रिय रहनी i .

चाहिए। एक बार दर्ज किए जाने के बाद आपकी मेल-आईडी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

Valid E-mail ID: The e-mail ID entered in the online application form should remain active until the recruitment process is completed. No change in the e-mail ID will be allowed once entered.

- ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय स्व-सत्यापित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे (Self-attested documents ii. to be uploaded while submitting application online) :
 - जन्म तिथि का प्रमाण: आधार कार्ड 10वीं/12वीं कक्षा की अंक तालिका। (Proof of Date of birth: 1. Aadhar Card/10th class mark sheet/12th class mark sheet.)
- आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाणपत्र। (Certificates of essential educational qualifications iii. & experience.)

- पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतिलिपि। (Scanned copy of passport size color photograph and signature.)
- केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठनों में काम करने के मामले में उनके वर्तमान नियोक्ता से अनापति प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति। (Scanned copy of No Objection Certificate from their present employer, in case working in Central/ State Government/ Autonomous Organizations.)
- iv. नवीनतम अंतिम भ्गतान प्रमाण-पत्र। (Latest Last pay drawn certificate)

8.2 आवेदन प्रपत्र के साथ भर्ती का विवरण भाखेप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध है: http://sportsauthorityofindia.nic.in

• ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारम्भिक तिथि:- 11-07-2025 (10:00 AM)

• ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 26-07-2025 (05:00 PM)

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: The schedule for applying online is given below:
Date of Opening Online Application: 11-07-2025 (10:00 AM)

Closing date for submission of online: 26-07-2025 (05:00 PM)

8.3 नीचे दिए गए सभी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए अन्यथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगाAll the instructions given below must be strictly followed or else the application is liable to be rejected

i. कौन आवेदन कर सकता है: केवल उन भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और आवश्यक कार्य अनुभव (जैसा कि तालिका-I में उल्लिखित है) की पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

WHO CAN APPLY: Applications are invited only from Indian citizens who fulfil eligibility criteria of essential educational qualification and essential work experience (as mentioned in Table-I).

ii. प्रमाण पत्र की वास्तविकता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उम्मीदवार की स्वयं सत्यापन द्वारा है। SAI उन अनुभव प्रमाणपत्रों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो ऊपर बताए गए अनुसार सही विवरण प्रदान

नहीं करते हैं।

The responsibility of ensuring genuineness of the certificate lies completely on the candidate by selfattestation. SAI RESERVES THE RIGHT TO DISCARD EXPERIENCE CERTIFICATES WHICH DO NOT PROVIDE CORRECT DETAILS AS MENTIONED ABOVE.

iii. उम्मीदवारों को ऊपर बताए गए मानदंडों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए कोई टीए/डीए

का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसलिए, पात्रता मानदंडों को पूरा करने का मतलब यह नहीं है कि उम्मीदवार को साक्षात्कार के रिक विजय विजय नियाय

के लिए विचार किया जाएगा।

Candidates will be called for the interview on the criteria as mentioned above, for which no TA/DA will be paid. Hence, fulfilment of eligibility criteria does not entail that candidate will be considered for the interview.

iv. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि सभी चरणों में उनकी उम्मीदवारी पूरी तरह से अनंतिम होगी, जो निर्धारित पात्रता शर्तों को परा करने के अधीन होगी। यदि, साक्षात्कार से पहले या बाद में किसी भी चरण में सत्यापन पर यह पाया जाता है

कि वे पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी SAI द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

The Candidates should note that their candidature at all the stages will be purely provisional, subject to satisfying the prescribed eligibility conditions. If, on verification at any stage, before or after Interview, it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions; their candidature will be cancelled by SAI.

नोट: चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग के समय आवेदन में उल्लिखित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ज्वाइनिंग के समय आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।NOTE: SELECTED CANDIDATES WILL BE REQUIRED TO PRODUCE THE ORIGINAL CERTIFICATES MENTIONED IN APPLICATION AT THE TIME OF JOINING. FAILING TO SUBMIT THE REQUIRED CERTIFICATES IN ORIGINAL AT THE TIME OF JOINING WILL LEAD TO CANCELLATION OF CANDIDATURE.

9.0 लागू कानून एवं क्षेत्राधिकार (APPLICABLE LAW & JURISDICTION):

चयनित उम्मीदवारों का अनुबंध भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार व्याख्यायित और शासित होगा। दोनों पक्ष अर्थात् भाखेप्रा और चयनित उम्मीदवार किसी भी विवाद के निपटारे के लिए दिल्ली की अदालतों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

The contract of the selected candidates shall be governed by and construed in accordance with the laws of Republic of India. Both the parties i.e. SAI and the selected candidate shall be amenable to the exclusive jurisdiction of the courts of Delhi, for the adjudication of any dispute hereunder or in connection herewith.

टिप्पणी (NOTE):

I.

II.

संविदा पद के लिए अधिकतम कार्यकाल 01 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है, जो भी पहले हो और किसी भी स्थिति में अनुबंध को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, उम्मीदवार इस तथ्य पर भी ध्यान दे सकते हैं कि सलाहकार (विद्युत) का पद चयनित उम्मीदवारों के संविदा की समाप्ति के बाद भी जारी रह सकता है, लेकिन चयनित उम्मीदवार अपने अनुबंध की समाप्ति के बाद (किसी भी मामले में) पद पर बने रहने का दावा नहीं कर सकता है और भाखेप्रा के पूर्ण विवेक पर रिक्त पद के विरुद्ध नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती हैं/नहीं भी की जा सकती है। नई भर्ती अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15 के सिद्धांतों के आधार पर शुरू की जाएगी, ताकि भाखेप्रा में उक्त पद के लिए चयनित होने के लिए नौकरी बाजार में सभी उम्मीदवारों को निष्पक्ष, न्याय संगत और समान अवसर प्रदान किया जा सके और भाखेप्रा के मौजूदा और पूर्व कर्मचारी भी नई भर्ती में भाग ले सकते हैं।

THE MAXIMUM TENURE FOR THE CONTRACTUAL POST IS 01 YEAR OR TILL THE AGE OF 65 YEARS, WHICHEVER IS EARLIER AND IN NO CASE WHATSOVER THE CONTRACT WILL BE EXTENDED FURTHER. MOREOVER, THE CANDIDATE MAY ALSO TAKE NOTE OF THE FACT THAT THE POST OF ADVISOR (ELECTRICAL) MAY CONTINUE TO EXIST EVEN AFTER THE EXPIRY OF CONTRACT OF THE SELECTED CANDIDATES, BUT THE SELECTED CANDIDATE CANNOT CLAIM CONTINUATION ON THE POST (IN ANY CASE WHATSOEVER) AFTER THE EXPIRY OF HIS/HER CONTRACT AND A FRESH RECRUITMENT PROCESS MAY/MAY NOT BE INITIATED AGAINST THE VACANT POST ON THE SOLE DISCRETION OF SAI. THE FRESH RECRUITMENT SHALL BE INITIATED BASED ON THE PRINCIPLES OF ARTICLE 14 (RIGHT TO EQUALITY) & ARTICLE 15, IN ORDER TO PROVIDE A FAIR, JUST AND EQUAL OPPORTUNITY TO ALL THE CANDIDATES IN THE JOB MARKET TO GET SELECTED FOR THE SAID POST IN SAI AND THE EXISTING AND EX-SAI EMPLOYEES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE FRESH RECRUITMENT.

भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ कार्य के दौरान, यह अत्यधिक संभावना है कि भाखेप्रा चयनित उम्मीदवार को ज्ञान उन्नयन और क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और/या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं या सम्मेलनों में विदेशी प्रदर्शन के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है, तथापि, यह स्पष्ट किया जाता

है कि ऐसा कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम/अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन चयनित उम्मीदवार को इस विज्ञापन में उल्लिखित

संविदात्मक कार्यकाल से परे कार्यकाल में विस्तार का हकदार नहीं बनाएगा।

DURING THE COURSE OF ENGAGEMENT WITH SPORTS AUTHORITY OF INDIA, IT IS HIGHLY LIKELY THAT SAI MAY DEPUTE THE SELECTED CANDIDATE FOR VARIOUS TRAINING PROGRAMMES FOR KNOWLEDGE UPGRADATION AND CAPACITY BUILDING AND/OR FOREIGN EXPOSURES IN VARIOUS INTERNATIONAL SPORTS COMPETITIONS OR CONFERENCES, HOWEVER, IT IS MADE CLEAR THAT NO SUCH TRAINING PROGRAMME/INTERNATIONAL EXPOSURE SHALL ENTITLE THE SELECTED CANDIDATE FOR AN EXTENSION IN TENURE BEYOND THE CONTRACTUAL TENURE MENTIONED IN THIS ADVERTISEMENT.

अस्वीकरण: वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को विज्ञापन में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को पढ़ा

हुआ माना जाएगा और भर्ती अभियान में भाग लेने के दौरान सभी नियमों और शर्तों (यहां निर्धारित) से सहमत माना जाएगा।

DISCLAIMER: CANDIDATES TAKING PART IN THE CURRENT RECRUITMENT PROCESS SHALL BE DEEEMED TO HAVE READ ALL THE TERMS & CONDITIONS MENTIONED IN THE ADVERTISEMENT AND SHALL BE DEEMED TO AGREE TO ALL THE TERMS & CONDITIONS (STIPULATED HEREIN) WHILE PARTICIPATING IN THE RECRUITMENT DRIVE.

1.8.1.

Deputy Director (Rectt. Cell) भा खे प्रा – मुख्य कार्यालय / SAI-Head Office